To Regularize the Colonies

111. Smt. NAINA SINGH CHAUTALA (Badhra):

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the steps being taken by the Government in the direction to regularize the various unapproved colonies under the periphery of Municipal Council Dadri togetherwith the details thereof?

Dr. Kamal Gupta, Urban Local Bodies Minister, Haryana

Madam,

The Government has enacted Act no. 24 of 2021 by amending the Haryana Management of Civic Amenities & Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provision) Act, 2016 vide notification dated 10.09.2021. As required under section 3 of the amendment Act, the norms/ policy dated 14.02.2022 has been issued for taking action for notification of the civic amenities & infrastructure deficient areas as 'declared areas' under the Act.

The process to notify the illegal colonies as 'declared area' under the Act shall be done after the receipt of resolution of concerned municipal body and if the colony fulfils the laid down norms for notification.

कॉलोनियों को नियमित करना

111 श्रीमती नैना सिंह चौटाला (बाढड़ा):

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि नगर परिषद् दादरी की सीमा के अंतर्गत आने वाली विभिन्न अस्वीकृत कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

डा० कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा

महोदया,

सरकार ने एक्ट 2021 का नं. 24 के तहत हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुंविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरीय क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2016 में संशोधन अधिसूचना दिनांक 10.09.2021 द्वारा लागू किया है। संशोधित अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, नागरिक सुविधाओं और बुनियादि ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों को अधिनियम के तहत "घोषित क्षेत्र" अधिसूचित करने की कार्रवाई के लिए मानदंड / नीति दिनांक 14.02.2022 जारी की गई है।

अधिनियम के तहत अवैध कॉलोनियों को "घोषित क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया संबंधित नगर निकाय से संकल्प प्राप्ति के बाद और यदि कॉलोनी अधिसूचना के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, तो की जाएगी।